22

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की 3 जून, 1999 को दोपहर 12 बजे, दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष, वरुणालय फेज-2, करोल बाग, नई दिल्ली- 110 005 में हुई 22वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्री सुरेन्द्र कुमार, विधायक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
3.	श्री ब्रह्म सिंह तंवर, विधायक	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
4.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
5.	श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
6.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
7.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास)आयुक्त, दि.न.नि.	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
8.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड

कार्यवृत्त की पुष्टि

1. दिनांक 21 मई, 1999 को सम्पन्न हुई दिल्ली जल बोर्ड की पिछली (21वीं) बैठक के कार्यवृत्त की निम्न संशोधनों के साथ पुष्टि की गई:-

1. संकल्प संख्या 241 के अन्तर्गत "संघ लोक सेवा आयोग की सलाह" शब्दों को "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मार्ग निर्देशों के अनुसार" शब्दों में बदला जाए । इस संशोधन का प्रस्ताव सदस्य (प्रशासन) द्वारा किया गया था ।

2. संकल्प संख्या 242 के अन्तर्गत बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता काडर में 60 पदों को वर्क असिसटैन्ट के पद से पदोन्नति करके भरे जाने हेतु निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई । यद्यपि यह संख्या कनिष्ठ अभियंता के 30 पदों को उच्चीकृत किये जाने के बाद कनिष्ठ अभियंता के शेष पदों के 10 प्रतिशत से अधिक होगी । यह व्यवस्था इस समय कार्यरत 60 वर्क असिसटैन्ट पदधारियों को पदोन्नति किए जाने तक वैध रहेगी । बोर्ड ने यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया जिससे कि कनिष्ठ अभियंता के 30 पदों को उच्चीकृत किए जाने के कारण इन वर्क असिसटैन्टस के पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

संकल्प संख्या 244

मद संख्या 249 दिल्ली जल बोर्ड में अवर लिपिक के 179 पदों (वेतनमान रू0 3050 - 4590) का प्रवर लिपिक के पद (रू0 4000 - 6000) पर उच्चीकरण ।

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/97 दिनांक 27.5.99 में उल्लिखित दिल्ली जल बोर्ड में रू0 3050 - 4590 के वेतनमान में अवर श्रेणी लिपिक के 179 पदों को रू0 4000 - 6000 के वेतनमान में प्रवर लिपिक के पदों में उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया और संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 245

मद संख्या 250 धौला कुंआ, रिंग रोड पर 42" व्यास की पानी की लाईन को हटाकर 1100 मि.मी. व्यास की इस्पात निर्मित वलय लाईन को बिछाना और जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)तृतीय के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/153 दिनांक 28.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि धौला कुंआ, रिंग रोड पर 42" व्यास की पानी की मुख्य लाईन को स्थानांतरित करने के लिए 1100 मि.मी. व्यास की एम.एस. लूप लाईन की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने के कार्य को रू0 1,16,14,469.10 की कुल लागत पर मैसर्स करमसिंह परमार को आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । सम्बन्धित मुख्य अभियंता को यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया ।

22

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की 3 जून, 1999 को दोपहर 12 बजे, दिल्ली जल बोर्ड के सभाकक्ष, वरूणालय फेज–2, करोल बाग, नई दिल्ली– 110 005 में हुई 22वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्री सुरेन्द्र कुमार, विधायक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप मेहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
3.	श्री ब्रह्म सिंह तंवर, विधायक	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
4.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
5.	श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली नगर निगम	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
6.	श्री छन्नू मल, सदस्य, दिल्ली छावनी बोर्ड	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
7.	श्रीमती सुमन स्वरूप, प्रधान सचिव (शहरी विकास)आयुक्त,दि.न.नि.	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
8.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड

कार्यवृत्त की पुष्टि

1. दिनांक 21 मई, 1999 को सम्पन्न हुई दिल्ली जल बोर्ड की पिछली (21वीं) बैठक के कार्यवृत्त की निम्न संशोधनों के साथ पुष्टि की गई:–

1. संकल्प संख्या 241 के अन्तर्गत "संघ लोक सेवा आयोग की सलाह" शब्दों को "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मार्ग निर्देशों के अनुसार" शब्दों में बदला जाए । इस संशोधन का प्रस्ताव सदस्य (प्रशासन) द्वारा किया गया था ।

2. संकल्प संख्या 242 के अन्तर्गत बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता काडर में 60 पदों को वर्क असिसटैन्ट के पद से पदोन्नति करके भरे जाने हेतु निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई । यद्यपि यह संख्या कनिष्ठ अभियंता के 30 पदों को उच्चीकृत किये जाने के बाद कनिष्ठ अभियंता के शेष पदों के 10 प्रतिशत से अधिक होगी । यह व्यवस्था इस समय कार्यरत 60 वर्क असिमटैन्ट पदधारियों को पदोन्नति किए जाने तक वैध रहेगी । बोर्ड ने यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया जिससे कि कनिष्ठ अभियंता के 30 पदों को उच्चीकृत किए जाने के कारण इन वर्क असिसटैन्टस के पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

संकल्प संख्या 244

मद संख्या 249 दिल्ली जल बोर्ड में अवर लिपिक के 179 पदों (वेतनमान रू0 3050 – 4590) का प्रवर लिपिक के पद (रू0 4000 – 6000) पर उच्चीकरण ।

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा.एवं का.) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/97 दिनांक 27.5.99 में उल्लिखित दिल्ली जल बोर्ड में रू0 3050 – 4590 के वेतनमान में अवर श्रेणी लिपिक के 179 पदों को रू0 4000 – 6000 के वेतनमान में प्रवर लिपिक के पदों में उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया और संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 245

मद संख्या 250 धौला कुंआ, रिंग रोड पर 42" व्यास की पानी की लाईन को हटाकर 1100 मि.मी. व्यास की इस्पात निर्मित वलय लाईन को बिछाना और जोड़ना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)तृतीय के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/153 दिनांक 28.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि धौला कुंआ, रिंग रोड पर 42" व्यास की पानी की मुख्य लाईन को स्थानांतरित करने के लिए 1100 मि.मी. व्यास की एम.एस. लूप लाईन की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने के कार्य को रू0 1,16,14,469.10 की कुल लागत पर मैसर्स करमसिंह परमार को आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । सम्बन्धित मुख्य अभियंता को यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया ।

संकल्प संख्या 246

मद संख्या 251 धौला कुंआ, रिंग रोड़ पर 1500 मि.मी. व्यास पी.एस.सी. पानी की लाईन को हटाकर 1500 मि.मी. व्यास की इस्पात निर्मित वलय लाईन को बिछाना और जोड़ना।

मुख्य अभियंता (सिविल)तृतीय के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/154 दिनांक 28.5.99 में उल्लिखित धौला कुंआ रिंग रोड़ पर 1500 मि.मी. व्यास की पी.एस.सी. पानी की मुख्य लाईन को स्थानान्तरित करने के लिए 1500 मि.मी. व्यास की लूप लाईन की व्यवस्था/बिछाने/जोड़ने के कार्य को रू 85,91,198.37 की कुल लागत पर मै0 करम सिंह परमार को आबंटित करने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया और संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए सभी प्रयास किए जाए ।

संकल्प संख्या 247

मद संख्या 252 राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में माउन्टेड टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हेतु वाहनों को किराए पर लेना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)प्रथम के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/155 दिनांक 28.5.99 में उल्लिखित 290 माउन्टेड टैंकर और 310 मध्यम मोटर वाहनों को संशोधित दरों और शर्तों पर दिनांक 15.5.99 से 30.6.99 तक किराए पर लगाने और दिनांक 1.4.99 से 30.6.99 तक पेयजल की आपूर्ति करने हेतु वाहनों को किराए पर लगाने के लिए रू0 496 लाख के संशोधित अनुमान को स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया, विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् बोर्ड ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी ।

इस मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार ने टैंकरों द्वारा पेयजल वितरण प्रबन्धन को उचित प्रवेक्षण द्वारा और टैंकरों को भरने के स्थानों (फिलिंग प्वाइन्टस) पर पानी का उचित दबाव सुनिश्चित करके और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया । सदस्य (प्रशासन) और प्रमुख अभियंता (जल) ने सूचित किया कि स्थिति में सुधार लाने के लिए पानी के टैंकरों को भरने के जिन स्थानों पर पानी का दबाव कम है वहां पम्प सैटों की व्यवस्था करने, पानी के टैंकरों को रात के समय भरने और कनिष्ठ अभियंताओं को प्रवेक्षण कार्य के लिए रात को डयूटी पर लगाए जाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं । मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मुख्य अभियंता (वाटर वर्क्स) और मुख्य अभियंता (सिविल)प्रथम को निर्देश दिए कि वे टैंकर भरने के स्थानों विशेष रूप से बवाना और समीपवर्ती क्षेत्रों में पानी के कम दबाव के कारणों का संयुक्त रूप से अध्ययन करें और स्थिति में सुधार हेतु तुरन्त आवश्यक उपाय करें । इस सम्बन्ध में किए गए उपायों की सूचना बोर्ड को अगली बैठक में दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि टैंकरों को लगाया जाना पेयजल वितरण समस्या का स्थायी हल नहीं है और उन्होंने पेयजल की लाईनों को जल्दी बिछाये जाने और बवाना और समीपवर्ती क्षेत्रों में पेयजल के संकट को हल करने के लिए नांगलोई जल उपचार संयंत्र को तुरन्त चालू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

संकल्प संख्या 248

मद संख्या 253 दिल्ली जल बोर्ड में श्री सोम दत्त की निदेशक (उपचार एवं गुणवत्ता नियंत्रण) के पद पर तदर्थ पदोन्नति को जारी रखना ।

बोर्ड ने निदेशक (प्रशा.एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/98 दिनांक 28.5.99 में उल्लिखित श्री सोम दत्त की निदेशक (उपचार एवं गुणवत्ता नियंत्रण) के पद पर रू0 12000–16500 के वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति को दिनांक 11.12.98 से एक और वर्ष के लिए अथवा इस पद पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले लागू हो, जारी रखने के प्रस्ताव पर विचार किया और संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 249

मद संख्या 254 दिल्ली जल बोर्ड में निदेशक (उपचार एवं गुणवत्ता नियंत्रण) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन ।

निदेशक (प्रशा.एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/प्रशा./99/99 दिनांक 28.5.99 में उल्लिखित निदेशक (उपचार एवं गुणवत्ता नियंत्रण) के पद को रू0 12000–370–16500 के वेतनमान में जारी रखने और इस पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति दिए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । विचारविमर्श के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प संख्या 250

मद संख्या 255 केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा लागत जमा आधार पर 20 नलकूपों का निर्माण ।

मुख्य अभियंता (सिविल)तृतीय के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/156 दिनांक 31.5.99 में उल्लिखित पल्ला के समीप अलीपुर ब्लाक में 20 टयूबवैल का निर्माण "लागत जमा आधार" (कॉस्ट डिपॉजिट बेसिस) पर केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए जाने के कार्य के लिए रू0 50.50 लाख के अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया ।

बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है । केन्द्रीय भूजल बोर्ड इस संपूर्ण कार्य को इस ग्रीष्म ऋतु में पूरा नहीं कर पायेगा, अतः भुगतान किश्तों में किया जाए ।

संकल्प संख्या 251

मद संख्या 256 10 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र वजीराबाद के लिए ब्लाक एस्टीमेट ।

मुख्य अभियंता (सिविल)तृतीय के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/157 दिनांक 31.5.99 में उल्लिखित वजीराबाद में 10 एम.जी.डी. क्षमता के जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए रू0 686 लाख के ब्लाक अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने विचार किया । वर्तमान जल संयंत्र के फिल्टरों की धुलाई का अवशेष जल और क्लेरीफ्लोक्यूलेटरों में उपयोग के बाद प्राप्त होने वाले पानी का उपयोग प्रस्तावित जल संयंत्र द्वारा किया जाएगा । बोर्ड ने संकल्प लिया कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड ने मैसर्स टी0 सी0 ई0 द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साध्यता रिपोर्ट (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) की एक प्रति मांगी । प्रमुख अभियंता से रिपोर्ट की एक प्रति सदस्य महोदय को देने के लिए कहा गया । श्रीमती रोशनी बंसल ने सुझाव दिया कि दिल्ली जल बोर्ड के सभी सदस्यों को बोर्ड के जल उपचार संयंत्रों को दिखाने की व्यवस्था की जाए, ताकि सदस्य इन संयंत्रों के कार्य संचालन को देख सकें ।

संकल्प संख्या 252

मद संख्या 257 9000 लीटर क्षमता के 50 एम0 एस0 कन्टेनरों का निर्माण और उन्हें टाटा चैसिस माडल संख्या एस.ई./1510/42 पर नियत करना ।

मुख्य अभियंता (सिविल)प्रथम के पत्र क्रमांक दि.ज.बोर्ड/तक./99/158 दिनांक 31.5.99 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने संकल्प लिया कि टाटा चैसिस माडल एस.ई./1510/42 के ऊपर 9000 लीटर क्षमता के 50 एम0 एस0 कन्टेनरों के निर्माण और नियत किए जाने के कार्य को निम्नतम निविदादाता मैसर्स देवसन्स स्टील को रू0 66,400 प्रत्येक की दर पर रू0 33,20,000 की कुल लागत पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा

1. कुछ सदस्यों ने जानना चाहा कि ठेकेदारों द्वारा पाइप खरीदें जाने के बजाए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाइपों की सीधी खरीद किए जाने के लिए उनके द्वारा पहले दिए गए सुझाव पर क्या कार्यवाही की गयी है ।

   विस्तृत विचार विमर्श के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि पाइपों की खरीद ठेकेदारों द्वारा किए जाने की वर्तमान प्रक्रिया के कई लाभ हैं और परिसमापन संकट (लिक्विडिटी क्रांइसेज) के कारण इस कार्य को इस समय दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए जाने में कई कठिनाइयाँ होंगी । अतः वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त करना उचित नहीं होगा, परन्तु वह कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्तमान प्रक्रिया के अन्दर कोई हल निकालेंगे और इसे अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

2. बोर्ड की पिछली बैठक के निर्णय के अनुसार विभिन्न मुख्य अभियंताओं द्वारा 31 मार्च 1999 तक के अनुबन्धों की सूची (स्टेटमैन्ट आफ कान्ट्रक्टस) प्रस्तुत न किए जाने पर श्री आर.सी. वर्मा, सदस्य महोदय ने चिन्ता प्रकट की । प्रमुख अभियंता ने आश्वासन दिया कि सभी लम्बित सूचियों को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । सदस्यों ने चाहा कि अनुबन्धों की अनुसूची को त्रैमासिक आधार पर बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3. श्री छन्नू मल, सदस्य महोदय ने जानना चाहा कि क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बोतलों में पेयजल के विपणन की कोई योजना है । प्रधान सचिव (शहरी विकास) ने स्पष्ट किया कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस सम्बन्ध में एक संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है ।

4. श्री ब्रह्म सिंह तंवर, सदस्य महोदय ने इस बात पर चिन्ता जताई कि जिन लोगों ने टयूबवैल लगाने के लिए भूमि दान दी है उन कुछ लोगों को दिल्ली जल बोर्ड रोजगार देने में असफल रहा है । सदस्य (प्रशासन) ने बताया कि वह इस मामले को देखेंगी ।

5. श्री ब्रह्म सिंह तंवर, सदस्य महोदय ने यह भी सुझाव दिया कि दक्षिणी दिल्ली के लिए "डीयर पार्क" में एक जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाए । प्रमुख अभियंता से इस प्रस्ताव की जांच करने को कहा गया ।

6. श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य महोदया ने सूचित किया कि कुतुब गढ़ क्षेत्र में पेयजल वितरण के लिए केवल एक टैंकर है । उन्होंने सुझाव दिया कि कुतुबगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट को देखते हुए वहां एक और अतिरिक्त टैंकर लगाया जाए । मुख्य अभियंता (सिविल)प्रथम इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें ।

7. श्री ब्रह्म सिंह तंवर ने दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य (तकनीकी) के दो रिक्त पदों को भरे जाने पर जोर दिया ।

शीला दीक्षित
अध्यक्ष

सचिव